फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री कैलाशदास — बनाम — विपक्षी : श्री भगवानदास

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम — पत्रावली संख्या : 07/23

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 25.06.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 5 अनुपस्थित। आवाज दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। विपक्षी संख्या 6 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैतृक भूमि होकर हमारे [illegible] मोतीदास जी के निधन के बाद विरासत से हिरादास, मोडीदास, भगवानदास के नाम हिस्सा बराबर से दर्ज हुई जिससे उक्त भूमि में हिरादास का 1/3 हिस्सा, मोडीदास का 1/3 हिस्सा, भगवानदास का 1/3 हिस्सा हक अधिकार हुआ और इसी हक हिस्से अनुसार काबीज हुए और उक्त भूमि का जरिये नामान्तरण संख्या 829 से खातेदारो के बीच विभाजन किया गया जिसके अनुसार खसरा न. 149/1 रकबा 12 बिस्वा यशोदास, किशनदास पिता हिरादास एवं मगनी बेवा हिरादास के नाम, खसरा न. 149/2 रकबा 13 बिस्वा मोडीदास पिता मोतीदास के नाम एवं खसरा न. 149/3 रकबा 13 बिस्वा भगवानदास पिता मोतीदास के नाम स्वतंत्र रूप से खातेदारी में अंकित हुई एवं राजस्व नक्शे में तरमीम किया गया तब से उपरोक्त आराजी अनुसार खातेदार काबीज हो काश्त करते चले आ रहे हैं। भगवानदास ने अपने खाते व कब्जे की आराजी न. 149/3 रकबा 13 बिस्वा भूमि में से 49/240 हिस्सा श्रीमती बसन्ति पत्नी शिवलाल अहिर को विक्रय कर दिया तथा शेष हिस्सा 191/240 हिस्सा भगवानदास के नाम यथावत रहा है। मोडीदास पिता मोतीदास का निधन हो गया है जिसके वारिश पुत्र मांगीलाल, रमेशचन्द्र, पुत्रीयां शंकरी, लक्ष्मी, एवं पत्नी धीसी हूए जिसमे से मांगीलाल का भी निधन हो गया जिसके वारिश पत्नी श्यामूबाई एव पुत्र कैलाश है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बताया की नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात के नवीन आराजी न. 411, 412 बने जिसमें उक्त भूमि त्रुटिपूर्ण तरिके से विपक्षी भगवान दास के नाम अंकित कर दी। प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात 411, 412 विपक्षी के नाम अंकित होने से विपक्षी प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात से प्रार्थीगण को बेदखल करने व जबरन कब्जा करने पर उतारू है जिससे विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार का खण्डन नहीं किया गया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबंदी संवत 2051–53 से सपष्ट है कि साबिक आराजी न. 149 रकबा 1 बिघा 18 बिस्वा भूमि में मोडीदास पिता मोतीदास हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार थे जिसका बाद में विभाजन के बाद आराजी न. 149/2 मोडीदास पिता मोतीदास खातेदारी में अंकित थी। प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी का हक हिस्सा निहित होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन, अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाते हैं। अन्य बिन्दु मूल वाद साक्ष्य सबुत के आधार तय किये जायेंगे। उपरोक्त बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाने से मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है जिससे किसी प्रकार के मौके व रकर्ड के परिवर्तन से बचा जा सके। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा धारता पटवार हल्का धारता तहसील [illegible] जिला उदयपुर राज की जमाबंदी संवत 2078–81 की खाता संख्या नया 384 की आराजी 411 [illegible] 412 रकबा 0.1200 हैक्टेयर भूमि [illegible] विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके व राजस्व रेकर्ड [illegible] यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:16:13 IST
Reason: SelfAttested